भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या :43

दिनांक 22 जुलाई, 2021/ 31 आषाढ़, 1943 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

सस्ती (बजट) विमान सेवा

43. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तनों पर उतरने की प्रतीक्षा में विमानों के उड़ते रहने से विमान कंपनियों को करोड़ो रुपये के ईंधन की हानि होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अव्यस्त समय के दौरान "सस्ती (बजट) सेवा" आरंभ करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री ज्योतिरादित्य म. सिंधिया)

(क) से (घ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

"सस्ती (बजट) विमान सेवा" विषय पर लोक सभा में दिनांक 22.07.2021 को पूछे जाने वाले मौखिक प्रश्न संख्या 43 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): वर्तमान में, कोविड 19 वैश्विक महामारी के कारण भारत में हवाई यातायात में अत्यधिक कमी आई है। किसी भी भारतीय हवाईअड्डे पर, हवाई यातायात में भीड़भाड़ की वजह से किसी भी विमान के उतरने में कोई देरी नहीं हुई है।

तथापि, कोविड-पूर्व अवधि के दौरान, हवाई यातायात में भीड़भाड़ की वजह से, दिल्ली (आईजीआई हवाईअड्डा), मुम्बई (सीएसआई हवाईअडडा) और बेंगलुरु (केआईए हवाईअड्डा) में कुछ उड़ानें कुछ समय के लिए आकाश में रुकी रहीं। बहुत से विमान, एक ही समय पर हवाईअड्डे के ऊपर पहुंचते थे, जिसकी वजह से उन्हें लैंडिंग से पूर्व आकाश में (हवाईअड्डे के ऊपर चक्कर लगाना) प्रतीक्षा करनी पड़ती थी। भीड़भाड़ की अवधि के दौरान उतरने की प्रतीक्षा में हवाईअड्डे के ऊपर चक्कर लगाने की वजह से, किसी विमान के आगमन में लगभग 25 मिनट का विलम्ब हो जाता था।

(ग) और (घ): भारत सरकार 'सस्ती विमान सेवा' आरंभ करने पर विचार नहीं कर रही है। मार्च 1994 में वायु निगम अधिनियम के निरस्त किए जाने के बाद, भारतीय घरेलू विमानन बाजार पर से विनियमन हटा लिया गया है। परिणामस्वरूप, एयरलाइनें देश भर में, अपनी इच्छानुसार किसी भी बाजार और नेटवर्क का चयन करके किसी भी टाइप और विमान क्षमता के साथ सेवा और प्रचालन कर सकती हैं। इस प्रकार एयरलाइनें इस मामले में संगत दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए, यातयात मांग और अपनी वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर, विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं मुहैया करा सकती हैं। तथापि, हवाई सम्पर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, मंत्रालय समय समय पर हितधारकों के साथ नियमित रूप से विचार विमर्श करता है।